न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय पूर्णियॉ
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 384 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 384 / 2026

04.05.2026– आवेदक **सुमित कुमार** ओर से दिनांक 27.02.2026 को जानकीनगर थाना काण्ड सं0–352 / 25 अन्तर्गत धारा 126(2) 115(2), 118(1), 118(2), 109, 352, 3(5) बीएनएस में एक अग्रिम जमानत आवेदन श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक 28.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीश कुमार राय राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय कुमार सिंह को सुना।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नही किया है। आवेदक की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं की गयी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धारा 109 बीएनएस को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है। सह अभियुक्त अमित कुमार को बीपी 1405 / 25 द्वारा दिनांक 03.01.2026 को जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदक को गिरफ्तार किये जाने की संभावना है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरो. पित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचिका के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजनवाद का सारांश यह है कि दिनांक 05.11.2025 को समय करीब 7 बजे संध्या में सूचिका के पति अजीत मंडल रमजानी बजरंगबली मंदिर के समीप गणेश ठाकुर के घर के पास मोटर साइकिल से आ रहे थे कि मोटर साइकिल सड़क के साइड में था तभी सुमित कुमार मोटर साइकिल से आ रहा था। सूचिका के पति से साइड मांगने के नाम पर गाली–गलौज करने लगा। सूचिका के पति ने जब मना किया तो उसके साथ मारपीट किया तथा फोन कर सुमित अपने भाई अमित यादव एवं अपने पिता गजेन्द्र यादव को बुला लिया, तीनों ने मिलकर सूचिका के पति को बुरी तरह से मारपीट किया हल्ला सुनकर पड़ोस के लागों ने सूचिका को बताया तब सूचिका अपने परिवार के लोगों के साथ घटनास्थल पर गयी तो देखी कि उक्त सभी आदमी मिलकर बैट, हाथ से सूचिका के पति को मारपीट किया सुमित यादव ने जान मारने की नियत से लोहे के रड से ऑख पर मारा जिससे उसका ऑख बुरी तरह से जख्मी हो गया। अमित यादव ने जान मारने की नियत से सूचिका के पति के सर पर मारा लाठी से मारा। उसके पति वही पर गिर गये। सलेन्द्र यादव भी जान मारने की नियत से लाठी से सूचिका के पति को मार कर जख्मी कर दिया। तब आस पास के लोग तथा घर वाले ने सूचिका के पति को उठाकर बनमनखी अस्पताल ले गया जहॉ से उन्हें पूर्णियॉ अस्पताल भेज दिया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त पर अभियोग है कि आवदेक अभियुक्त ने सूचिका पति से मोटर साइकिल से साइड मांगने को लेकर गाली–गलौज किया एवं उसके साथ बुरी तरह से बैट, हाथ, लाठी, रड से सिर पर मारपीट कर

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय पूर्णियॉ
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 384 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 384 / 2026

जख्मी कर दिया। विचारण न्यायालय से अद्यतन काण्ड दैनिकी की मांग किया गया जो प्राप्त है। काण्ड दैनिकी के अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि जख्म की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु जख्म ऑख पर कारित है जो साधारण प्रकृति का प्रतीत होता है।

7. वाद की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त **सुमित कुमार** को मो0– 10,000 / – रूपये के तथा इतने ही राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के अधीन दिया जाता है कि **1. वाद की नियत तिथियों में लगातार सदेह उपस्थित रहेगा एवं 2. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियॉ में कॉस्ट 2000 / – रूपया जमा करेगा।**

दिनांक–04.05.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(ठाकुर अमन कुमार)
तृतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।

–